

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक 16.03.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 60/2026 धारा 115(2)/352/85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 60/2026 धारा 115(2)/352/85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ मोनू पुत्र हरीबक्श निवासी ग्राम बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मूलपता हुसैनपुर नौखण्डा कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. रंजीत कुमार उर्फ मोनू पुत्र हरीबक्श निवासी ग्राम बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मूलपता हुसैनपुर नौखण्डा कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 02.03.2026 को थाना कमालगंज पर वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करने को लेकर गाली गलौज कर मारपीट करना व फांसी लगाकर जान से मार देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 60/2026 धारा

115(2)/352/85/80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 01. रंजीत कुमार उर्फ मोनू पुत्र हरीबक्श निवासी ग्राम बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मूलपता हुसैनपुर नौखण्डा कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ आदि 05 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ मोनू उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ रंजीत से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नि के साथ विवाद होना बताया तथा शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ मोनू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 60/2026 धारा 115(2)/352/85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार
2. हे0का0 रामकुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।